



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 14 चैत्र, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 04 अप्रैल, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी “क”)।
2. प्रश्न (देखिये नत्थी “ख”)।
3. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी “ग”)।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2002 के तृतीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. कुंवर प्रणव “चैम्पियन” सदस्य, विधान सभा, “जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पासापुर के नाले पर मिनि पुल निर्माण के संबंध में” श्री नवल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. कुंवर प्रणव “चैम्पियन” सदस्य, विधान सभा, “लन्ढौरा (हरिद्वार) क्षेत्र में बहुसंख्यक ईंट भट्टों के बिषैले धुएं से मानव जीवन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु उनकी चिमनियों पर प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र लगाने हेतु” डा0 जुल्फीकार अली एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
9. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
12. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (पन्द्रह मिनट)।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- (क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
3. श्री प्रकाश पन्त,
4. श्रीमती आशा नौटियाल,
5. श्री अनिल नौटियाल,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्री हरबंस कपूर,
8. श्रीमती विजय बड़थवाल,

- (ख) 1. काजी निजामुद्दीन,
2. मो० शहजाद,
3. श्री तसलीम अहमद,

- (ग) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

“उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

--- तदैव ---

“उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

13. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 पारित किया जाय।
14. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (पन्द्रह मिनट)।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- (क) 1. श्री काशी सिंह ऐरी,
2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
3. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
4. श्री हरिदास,
5. श्री नारायण पाल,

“उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

--- तदैव ---

- (ख) 1. काजी निजामुद्दीन,
2. मो० शहजाद,
3. श्री तसलीम अहमद,

- (ग) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

“उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

15. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 पारित किया जाय।
16. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (पन्द्रह मिनट)।

प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

- (क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री अजय भट्ट,
4. श्री हरबंस कपूर,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्रीमती विजय बड़वाल,

“उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

--- तदैव ---

- (ख) 1. काजी निजामुद्दीन,
2. मो० शहजाद,
3. श्री तसलीम अहमद,

- (ग) 1. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

“उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।”

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

17. समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 विचार किया जाय।
18. श्री कौल दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों पर बालिका इण्टर कालेज प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु आय-व्ययक में विशेष प्राविधान किया जाए।”

19. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण:-

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

1. श्री बलवीर सिंह नेगी,
“यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 10 अगस्त, 2002 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त 52 नहरों के सुधार व मरम्मत कार्य हेतु खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध तकनीकी आंगणन के अनुसार सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर द्वितीय खण्ड को 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया जाय।”
2. श्रीमती विजय बड़थवाल,
“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।”
3. काजी निजामुद्दीन,
“इस सदन का निश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।”
4. श्री मातबर सिंह कण्डारी,
“इस सदन का यह सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।”

20. श्री फूल सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-
“यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (घ))

21. काजी निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-110 के अन्तर्गत भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई संदेश का प्रस्तुतीकरण :-

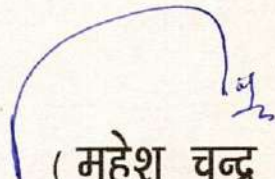
“यह सदन भारतीय टीम को वर्ष, 2003 के वर्ल्डकप फाइनल तक पहुंचने के लिए तथा उनके अच्छे खेल के प्रदर्शन के लिए बधाई देता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस प्रकार से 20 साल बाद क्रीड़ा जगत में अपनी स्थिति और क्रिकेट के खेल को सुधारा और संवारा है, उसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। विशेषकर मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेन्दुलकर जो पूरे वर्ल्डकप टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किये किये गये तथा जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है, वह पूरे देश के लिए बड़े सम्मान का विषय हैं। टीम के कप्तान सौरभ गांगुली, को टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए भी श्रेय जाता है जिन्होंने बहुत अच्छे ताल-मेल के साथ पूरी टीम के मनोबल को अन्त तक बनाये रखा।

वर्ष, 2003, का क्रिकेट महाकुम्भ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा- ऐसी आशा की जाती है।”

22. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून:
दिनांक : 04 अप्रैल, 2003

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2003 का
प्रथम शुक्रवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
शुक्रवार, 14 चैत्र, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 04 अप्रैल, 2003)
नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत
29.03.2003

****1.** क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रदेश की कतिपय कॉमर्शियल संस्थाओं को नॉन कॉमर्शियल संस्था दर्शाते हुए उनके द्वारा विद्युत उपभोग की बिलिंग एल.एम.वी.-2 के स्थान पर एल.एम.वी.-4 की दरों पर करके करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है ? यदि हाँ, तो वे संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराकर पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

ऊर्जा

काजी निजामुद्दीन
20.3.2003

****2.** क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में आम के बगीचों में शूट गाल नामक रोग का बड़ी मात्रा में प्रकोप हो रहा है? यदि हाँ, तो सरकार शूट गाल की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

नत्थी (ख)

प्रथम सत्र, 2003 का
प्रथम शुक्रवार

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली 1958, के
नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

काजी निजामुद्दीन
20.3.2003

*1. क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारों को
बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो
क्यों?

श्रम

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 29.1.2003	*1. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दूनागिरी व द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा को पर्यटन क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों के पर्यटन विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
श्री मदन कौशिक 29.1.2003	*2. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की नीति क्या है? क्या सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु कोई मापदंड तय किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री नारायण सिंह जंतवाल 13.2.2003	*3. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन की मांग पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक उत्तरांचल की पूर्ण संस्तुति के अनुसार मिनिस्टीरियल संवर्ग के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से लेकर ब्लाक स्तर तक के कैंडर के एकीकरण एवं तदनुसार एक सेवानियमावली एवं एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी?	स्वास्थ्य
श्री प्रकाश पंत 17.2.2003	*4. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 12 जुलाई, 2002 से नये टैक्सी परमिट निर्गत करने तथा परमिटों के नवीनीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगी है? उक्त प्रतिबन्ध को लगाये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक यह प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा?	परिवहन

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' *5. दो विभाग होने के कारण निरस्त
18.2.2003

श्री मातबर सिंह कण्डारी *6. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने एवं नर्सिंग होम चलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
20.2.2003. स्वास्थ्य

श्री हरबंस कपूर *7. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार दून चिकित्सालय, देहरादून को राज्य स्तर के चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर उसमें सभी आधुनिक उपचार से संबंधित सुविधायें उपलब्ध करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
20.2.2003 स्वास्थ्य

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट *8. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बी०ए०एम०एस० तथा बी०ई०एम०एस० की कक्षाएँ संचालित करने वाली कौन-2 सी संस्थाएँ विधिमान्य हैं? उत्तराखण्ड मेडिकल इंस्टिट्यूट 78/ए, एम०डी०डी०ए० कालोनी, डालनवाला, देहरादून द्वारा गठन से आज तक कुल कितने छात्रों को बी०ई०एम०एस० की डिग्री प्रदान की गयी है? क्या उत्तरांचल सरकार द्वारा उक्त संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है?
20.2.2003 द्वितीय सोम के तारा० 9 में स्था०

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत *9. क्या पर्यटन मंत्री यह बतायेंगे कि सरकार नई पर्यटन नीति के तहत उत्तरांचल के चार धामों की यात्रा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए क्या-क्या व्यवस्था कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?
22.2.2003 पर्यटन

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तराई बीज विकास निगम उधमसिंह नगर उत्तरांचल क्षेत्र में होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो तराई बीज विकास निगम उधमसिंह नगर के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किस सरकार द्वारा किया जा रहा है?
27.8.2002 कृषि

अतारांकित प्रश्न

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 29.1.2003	1. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बिन्ता क्षेत्र में आई0टी0आई0 खोलने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री कैलाश शर्मा 29.1.2003	2. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विक्टर मोहन जोशी महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में बाल रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति जनहित में शीघ्र करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	स्वास्थ्य
श्री कैलाश शर्मा 29.1.2003	3. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में स्व0 गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में सर्जन, चिकित्सक एवं स्टाफ नर्सों के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार जनहित में उक्त पदों पर नियुक्तियाँ करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री कैलाश शर्मा 29.1.2003	4. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के सितलाखेत और कसारदेवी पर्यटक स्थलों को विकसित करने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?	पर्यटन
श्री कैलाश शर्मा 30.1.2003	5. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में स्व0 हरगोविन्द पंत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	स्वास्थ्य
श्री मदन कौशिक 30.1.2003	6. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में किन-किन जनपदों के चिकित्सालयों में वार्डों के बिस्तरों (गद्दे, चादर, तकिया, कम्बल इत्यादि) के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 31.1.2003	7. क्या जलागम प्रबन्धन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल में जलागम की कौन-2 सी योजनायें संचालित हो रही हैं? क्या टिहरी गढ़वाल के सभी गाँव इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, यदि नहीं, तो क्यों?	जलागम प्रबन्धन
श्री कैलाश शर्मा 4.2.2003	8. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के स्व0 विक्टर मोहन जोशी महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सरकार सरकारी आवास मुहैया कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?	स्वास्थ्य

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 4.2.2003	9. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के राजकीय वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों में सरकार टेलिकॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 4.2.2003	10. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किराये के भवनों में चलने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य विभाग किस दर पर मासिक किराया भुगतान करता है? क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु लिये जाने वाले किराये के भवनों के किराये में वृद्धि किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 4.2.2003	11. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार कृषि विकास हेतु उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक किन-किन जनपदों में कहाँ-कहाँ कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री मातबर सिंह कण्डारी 4.2.2003	12. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की स्वास्थ्य नीति बन गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार स्वास्थ्य नीति की एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी?	स्वास्थ्य
श्री मातबर सिंह कण्डारी 5.2.2003	13. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मुख्यालयों पर कितने प्रथम नियुक्ति वाले डाक्टरों की तैनाती कर दी गयी है? क्या यह सत्य है कि सर्व प्रथम नियुक्ति वाले उक्त डाक्टरों की नियुक्ति दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति के लिए कोई योजना बनाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री मातबर सिंह कण्डारी 5.2.2003	14. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् कितनी शिक्षण संस्थाओं को एम0बी0ए0, बी0बी0ए0, बी0आई0टी0एस0 तथा कम्प्यूटर के लिए मान्यता दी गयी है? क्या यह सत्य है कि कतिपय शिक्षण संस्थाओं को बिना मानक पूर्ण किये मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों?	31.3.03 को अता0 21 द्वारा उत्तरित
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 5.2.2003	15. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनाती पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 7.2.2003	16. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अति पिछड़े खादर दोआब क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) अथवा राजकीय प्राविधिक संस्थान (पॉलिटेक्नीक) खोले जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री काजी निजामुद्दीन 10.2.2003	17. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'बियर बार' खोलने की कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो नीति का प्रारूप क्या है?	आबकारी
श्री मातबर सिंह कण्डारी 13.2.2003	18. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में एक राजकीय पौलीटेक्निक खोले जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पौलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	तकनीकी शिक्षा
श्री नारायण राम आर्य 14.2.2003	19. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी अंशकालिक दाईयाँ हैं तथा इन्हें कितने रुपये मासिक वेतन मिलता है? क्या सरकार इन्हें नियमित करने तथा इनके वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री नारायण राम आर्य 15.2.2003	20. क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में बस स्टेशन के निर्माण हेतु शिलान्यास हो चुका है? यदि हाँ, तो उक्त बस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री नारायण राम आर्य 15.2.2003	21. क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के प्रा0स्वा0 केन्द्र पोखरी व बनकोट के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो धन की व्यवस्था हेतु क्या कार्यवाही चल रही है? कब तक उक्त स्थान पर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्रीमती आशा नौटियाल 15.2.2003	22. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित बेरोजगारों फार्मसिस्टों की आयु में छूट देकर नियुक्ति प्रदान करने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य

श्री तसलीम अहमद 17.2.2003	23. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मण्डी परिषद् उत्तरांचल से प्रदेश के किन जनपदों में विकास कार्य हो रहे हैं? जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर मण्डी समिति ने पिछले दो वर्षों में क्या-क्या विकास कार्य किये हैं? क्या मण्डी समिति ज्वालापुर द्वारा गोद लिये गये ग्राम पंचायत भगतनपुर, आबिदपुर उर्फ इक्कड के ग्राम इक्कड में कोई विकास कार्य कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	कृषि
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.2.2003	24. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद आज तक कितने नये औषधि लाइसेन्स दिये गये हैं? नये ड्रग लाइसेन्स दिये जाने के मानक क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद माह दिसम्बर, 2002 से अब तक प्रदेश के कितने औषधि व्यापारियों द्वारा ड्रग लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु आवेदन किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उनका नवीनीकरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.2.2003	25. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के औषधि विभाग में सरकार राज्य औषधि-सलाहकार बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.2.2003	26. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इण्डियन फार्मसी एक्ट 1948 के अनुरूप क्या सरकार उत्तरांचल में फार्मसी काउंसिल के गठन पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक गठन कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री बलबीर सिंह नेगी 18.2.2003	27. क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण उत्तरांचल में एक ड्रग्स लाइसेन्स अधिकारी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दूरस्थ स्थानों में दवा व्यापारियों की असुविधा को दूर करने के लिए प्रत्येक जनपद में ड्रग्स लाइसेंस अधिकारी की नियुक्ति पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
श्री नारायण सिंह जंतवाल 19.2.2003	28. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन से आज तक कितने लोगों को सरकारी सेवा में सेवायोजित किया जा चुका है?	श्रम एवं सेवायोजन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 21.2.2003	29. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1993-94 में हुए आयुर्वेदिक घोटाला प्रकरण में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी कार्यालय टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ सहायक को निलंबित किया गया था? क्या प्रश्नगत घोटाला प्रकरण पूर्ण रूप से निस्तारित हो चुका है? यदि नहीं, तो वरिष्ठ सहायक को किस अधिकृत अधिकारी के आदेश से उत्तरांचल की सेवा में बहाल किया गया है? क्या निलम्बन काल के वेतन का भुगतान भी किया गया है?	स्वास्थ्य

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 24.2.2003	30. क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में लड़कियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु महिला पोलिटैक्निक स्वीकृत किये जाने हेतु क्या कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?	तकनीकी शिक्षा
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 25.2.2003	31. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जनपद चमोली के नीती मलारी स्थान से प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यटन
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 26.2.2003	32. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद चमोली के साइकोट तथा स्यूण बेमरो नामक स्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकास खण्ड जोशीमठ के ग्राम सभा डुमख कलगोठव पैनी में ए.एन.एम. सेन्टर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 26.2.2003	33. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ जनपद चमोली में परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना हेतु शासन स्तर पर 20 लाख रुपये का आगणन प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह आगणन इसी वित्तीय वर्ष 2002-03 में स्वीकृत कर दिया जायेगा?	स्वास्थ्य
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 26.2.2003	34. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में गणाई, मालबजवाड़, सिलंगी आलकोट एवं नगली डमकर में परिवार कल्याण उपकेन्द्र स्वीकृत किये जाने की कोई योजना शासनान्तर्गत प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त उपकेन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे?	स्वास्थ्य
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 11.2.2003	35. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश से विकल्प के आधार पर आये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा-महानिदेशालय के कर्मचारियों को नये राज्य में पदोन्नति का लाभ दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	स्वास्थ्य



उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी “घ”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री भगत सिंह कोश्यारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. दो लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूर्ण न किए जाने और इस वर्ष प्रत्यक्ष सेवाओं में कम से कम 20 हजार नियुक्तियां करने,
2. विशिष्ट बी०टी०सी० डिप्लोमा इंजीनियर, फार्मासिस्ट, आई०टी०आई० प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
3. खनन नीति में परिवर्तन कर स्थानीय लोगों के माध्यम से नदी चुगान आदि में प्राथमिकता देने तथा खनन पट्टा जारी करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को सौंपने,
4. गन्ना तथा अन्य कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान करने,
5. राज्य में भ्रष्टाचार का निदान करने,
6. पर्यटन को जन सहभागिता के साथ विकसित करने,
7. शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु उपाय करने,
8. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत विकास के तहत सड़क, स्कूल, अस्पताल स्वीकृत करने,
9. जनपद बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय खोलने।”

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

2. श्री मातबर सिंह कण्डारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सौराखाल भरदार (रुद्रप्रयाग) में आई0टी0आई0 खोलने,
2. जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय खोलने,
3. उपतहसील जखोली को पूर्ण तहसील बनाने,
4. सिद्धसौड (बडमा), किमाणा (फुटगढ़), घंगासू (बांगर), धोलीर (रानीगढ़), कांडई (बछणस्थूँ) तथा सौराखाल भरदार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने,
5. जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग में राजकीय पोलिटेक्निक कालेज खोलने,
6. तुनेट (भरदार), देवीधार (सिलगढ़) गहडखाल (बछणस्थूँ), पुलन (बांगर), अमकोटी (लस्या) हडेतीखाल (दशज्यूला), जसोली (रानीगढ़) तथा गवेफड धनपुर में राजकीय चिकित्सालय खोलने,
7. लस्तर नदी (रिखैण) रहड़ (सिलगढ़), मन्दाकनी नदी (गंगतल), अलकनन्दा नदी धुर्येली (दशज्यूला), तथा अलकनन्दा नदी पपडासू (भरदार) में झूला पुल का निर्माण करने,
8. जखन्यालगाँव (बडमा), कोटी सेम (बडमा), सिखाडी, पुलन लिस्वाल्ड (बांगर), बक्सीर भुनालगाँव डाँगी खोड (पूर्वी बांगर) तथा गवाँणा (भरदार) में विद्युतीकरण की सुविधा देने,
9. तल्ला नागपुर, दशज्यूला, रानीगढ़, धनपुर, बछणस्थूँ तथा भरदार को मिलाकर रुद्रप्रयाग में नये विकास खण्ड का सृजन करने,
10. नगरासू जसोली डाँडाखाल, तिलवाड़ा सौराखाल, खांकरा कांडई खेडाखाल, जखोलीमीरी मोटर मार्गो का डामरीकरण करने,
11. शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जले ट्रान्सफार्मरों को तत्काल बदलने,
13. सम्पूर्ण उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करने,
14. विकास खण्ड जखोली रुद्रप्रयाग के भवन का निर्माण करने,
15. तिलवाड़ा में महिला चिकित्सालय खोलने,
16. चिखटिया, बांगर, बडमा, रानीगढ़, धनपुर बछणस्यूँ में फल पट्टी योजना शुरू करवाने,
17. चिखटिया (लस्या) में राजकीय आलू फार्म की स्थापना करने,
18. रतूडा (धनपुर) में राजकीय आदर्श कृषि फार्म की स्थापना करने,
19. खांकरा (बछणस्यूँ) में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना करने,
20. तुनेट भरदार में गत्ता फैक्ट्री की स्थापना करने,
21. हरियाली देवी, नैनादेवी, जखोली, चिखटिया, सिद्धसौड़, मटियाणाखाल पर्यटक स्थलों का विकास कराने,
22. जनपद रुद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक, प्रबंधक उद्योग विभाग निरीक्षक मत्स्यपालन के पद सृजित कर उक्त पदों पर नियुक्ति दिलाने,
23. धनकुराली नहर, तुनेट नहर, बरसारी नहर, पाँजणा नहर चाका नहर, खांकरा नहर, नगरासू नहर, चोपडा नहर, सुमाडी नहर, पन्द्रोला नहर धारी नहर की मरम्मत करवाने,
24. बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रदेश में उद्योग धंधों को लगाने,
25. भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं एवं भवन विहीन जूनियर हाई स्कूलों में भवन निर्माण कराने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

26. रा0उ0मा0वि0 तथा रा0इ0का0 में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती कराने,
27. विकलांग विधवाओं एवं वृद्धावस्था पेंशन का वितरण तत्काल करवाने,
28. किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान तत्काल करवाने,
29. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छोटे परिवारों को बी0पी0एल0 के कार्डों की सुविधा देने,
30. दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में खुले अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति करने,
31. मानक के आधार पर दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने,
32. प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर उत्तरांचल को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने।”

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने के लिए उन्हें कार्यमुक्त कर रिक्त स्थान पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने,
2. प्रदेश की स्थायी राजधानी की घोषणा कर अस्थाई राजधानी में बेहिसाब हो रहे खर्चों पर रोक लगाकर स्थाई राजधानी के निर्माण व विकास किये जाने,
3. उत्तरांचल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण्ण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को संस्तुति करने,
4. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

5. प्रदेश में नौकरशाही को अनुशासित करने,
6. प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के लिये प्रभावी उपाय की घोषणा करने,
7. प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित फार्मसिस्टों, बी०एड०, सी०पी०एड०, डिप्लोमा धारी इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
8. राज्य के भेड़ पालकों के उत्थान के लिए व उनके द्वारा उत्पादित ऊनी सामग्री के विपणन की समुचित व्यवस्था करने,
9. अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप विकास नीति बनाने,
10. प्रदेश के बेरोजगारों की विषम आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जीवन यापन हेतु बेरोजगारी भत्ता दिये जाने तथा परीक्षा व साक्षात्कार में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करने,
11. प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोतों के घटने के कारण रसोई गैस में प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था करने,
12. प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खेल स्टेडियम की स्थापना करने,
13. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु की अनुकूलतः के परिपेक्ष्य में बे-मौसमी सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, बागवानी के लिए ब्लाक स्तर पर प्रसार-प्रशिक्षण व्यवस्था कर उत्पादित सामग्री के बाजार की व्यवस्था करने,
14. उत्तराखण्ड की गौरवमयी संस्कृति को संरक्षित करने व समुचित स्थान प्रदान करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं यथा गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी, भोटिया के विकास के लिए एक राज्य स्तरीय पृथक अकादमी की व्यवस्था करने,
15. गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने तथा चीनी मिलों द्वारा समयबद्ध भुगतान के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

16. राज्य में कठिन कार्यों के बोझ तल्ले दबी महिलाओं के विकास के लिए पृथक नीति बनाये जाने,
17. टिहरी बाँध परियोजना के विस्थापितों की समस्या को हल करने के लिए समेकित एवं समयबद्ध नीति को घोषित करने,
18. मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा में लेने,
19. प्रदेश में स्तरीय शिक्षा के विकास के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने,
20. वन विभाग में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को वृत्त स्तर पर नियमित करने व साधन सहकारी समिति सचिव, गणक, संग्रह अमीनों, लो०नि०वि०, जल संस्थान में कार्यरत पी०टी०सी० सहित विभिन्न, निगमों में दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित कर राज्य कर्मचारी घोषित करने,
21. प्रदेश में प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन कर प्रताबनगर, बड़कोट, कोटद्वार, रुड़की को अलग जनपद बनाए जाने,
22. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता व अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने,
23. चिन्यालीसौड़ व गौचर में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ कर वर्ष, 2003 यात्रा काल से वायु सेवा प्रारम्भ करने हेतु व्यवस्था करने,
24. स्वीकृत मोटर मार्गों भड़कोट-रौतल, बगोडी, धरासू-रौतल, धरासू-चमियारी, चिन्यालीसौड़-कोट (बागी), बडेयी-कांदला, भवान-नगुण, कल्याणी-तराकोट, सुलियाखोल-नौगाँव गोडर, चामी-सिंगुणी, नौगाँव-स्यूरी, चोपड़ा-चणगाँव, गमरागड-चोपड़ा सहित राज्य के सभी स्वीकृत मोटर मार्गों का कार्य प्रारम्भ करवाने तथा अधूरे पड़े मोटर मार्गों को पूरा करवाने सहित आवश्यक नए मार्गों के निर्माण करवाने,
25. इन्द्रकील पर्वत, जगदेई, नागटिब्बा, सेम, राड़ी देवराणा, मौरियाणा, डोडीताल सहित राज्य के सभी सुन्दर स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

26. प्रदेश में दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को विना भेदभाव के समान सहायता उपलब्ध कराये जाने।

4. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सितारगंज में बैगुल नदी के लगातार कटाव से भूमि की सुरक्षा के उपाय किए जाने,
2. ग्राम आस्ता, सितारगंज, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा सड़क, सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, का समुचित विकास किये जाने,
3. सितारगंज चीनी मिल के लग्बित गन्ना भुगतान अविलम्ब किये जाने,
4. थारु जनजाति में शिक्षा, चिकित्सा समेत समुचित विकास किये जाने,
5. नानमकत्ता क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने।”

5. श्री हरबंस कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सीवर के पानी को खुले में छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने एवं विभाग के अधिकारियों को दंडित किये जाने,
2. देहरादून निगम की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा निगम के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए,
3. देहरादून निगम में सम्मिलित नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर मलिन बस्तियों को चिह्नित कर पंजीकृत किये जाने एवं मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सुधार कार्य किए जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

4. 14-देहरादून विधान सभा क्षेत्र स्थित कौलागढ़, मन्गूगंज, शांतिविहार, गोविन्दगढ़, चुक्खुवाला, खुड़बुड़ा, राजेन्द्र नगर आदि क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत के परिप्रेक्ष्य में कौलागढ़, खुड़बुड़ा, चुक्खुवाला, गोविन्दगढ़ में एक-एक ट्यूबवैल लगाए जाने,
5. मन्गूगंज, खुड़बुड़ा, लूनिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों में गुजरने वाले गन्दे नाले का ढक्कनयुक्त किए जाने,
6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसारित गुच्छू पानी भट्टा, गूलर घाटी, पर्यटन योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच करने एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किए जाने।”

6. श्रीमती विजय बड़वाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया किनसार रोड का डामरीकरण करने,
2. लक्ष्मणझुला पांडव गुफा के नजदीक गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण करने,
3. थल नदी, विकास खण्ड यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल में स्थित पालिटेनिक को महिला पालिटेनिक कर महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने,
4. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत डाडामण्डी विकास खण्ड द्वाराखाल, पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने,
5. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैडखाल, पौड़ी गढ़वाल में एक 20 शैया का अस्पताल खोलने,
6. स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने,
7. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी का उच्चीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

8. पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल का उच्चीकरण करने।”

7. श्री कैलाश शर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. अल्मोड़ा नगर की जर्जर मुख्य सड़क की मरम्मत करने,
2. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/ईण्टरमीडिएट कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देने,
3. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछना विकास खण्ड में नैनीहरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण करने,
4. अल्मोड़ा जनपद में भैसियाछना विकास खण्ड के मंगतलता में झूलापुर का निर्माण करने,
5. अल्मोड़ा नगर के महिला चिकित्सालय के भवन के जीर्णोद्धार एवं कर्मचारी आवासीय भवन बनाने,
6. अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के जीर्ण भवन की मरम्मत करने,
7. अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैंड बनाने,
8. हवाल-बसाली मोटर मार्ग को पूर्ण करने,
9. कोसी कसार देवी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
10. शेषाघाट नाली मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण करने,
11. गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल अल्मोड़ा में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करने।

8. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे पड़े मोथरोंवाला-दूधली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने,
2. जंगली हाथियों द्वारा नकरौड़ा, चांदमारी, माधोवाला, सतीवाला, दूधली, सिमलास, नागल, बुलन्दावाला आदि गांवों में कृषि उत्पादों में हो रही क्षति के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों की जीवन रक्षा की व्यवस्था करने,
3. राज्य आन्दोलन में गोलियों से घायल आन्दोलनकारियों को रोजगार उपलब्ध कराने,
4. राजीवनगर, डांडा वार्ड 2, देहरादून महानगर में घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईनों को हटाने,
5. जनपद देहरादून में बिन्दाल नदी द्वारा क्लेमेंटाउन कैट, इन्दिरा फार्म, मोथरोंवाला, दौड़वाला, सिमलास, खैरी, झबरावाला, बुल्लावाला गांवों में प्रतिवर्ष सैकड़ों बीघा भूमि के जलकटाव को रोकने,
6. बिन्दाल व सुसवा नदी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने।

9. श्री मदन कौशिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है” :-

1. प्रदेश कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु योजना बनाने,
2. प्रदेश के किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली एवं पानी की आपूर्ति निःशुल्क देने,
3. किसानों के गन्ने का उचित मूल्य एवं तुरन्त भुगतान किए जाने,
4. उत्तरांचल के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
5. प्रदेश में आबकारी नीति को प्रभावी बनाने,
6. प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की किसी कार्ययोजना को बनाए जाने,
7. प्रदेश के नीजी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया लागू करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

8. उत्तरांचल में मूल निवास प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल एवं उसे प्राप्त करने की सीमा निश्चित करने,
9. उत्तरांचल के व्यापारियों हेतु 'वैट' को सरलीकरण करने एवं उसमें छूट देने,
10. प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्यमियों को आकृषित करने,
11. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के पेंशन वृद्धि, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि करने,
12. उत्तरांचल में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अनुरक्षण अनुदान देने की कोई कार्ययोजना बनाने,
13. प्रदेश में आई0एस0आई0 एवं माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने,
14. प्रदेश में सहकारिता के चुनाव जल्दी कराये जाने,
15. उत्तरांचल में गंगा को प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त रखने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने,
16. उत्तरांचल के विधायकों को विधायक निधि एक करोड़ किये जाने,
17. प्रदेश के गरीब लोगों को आर्थिक आरक्षण दिये जाने,
18. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने की समय सीमा निश्चित करने,
19. भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु स्पष्ट नीति बनाने,
20. राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाने,
21. व्यय कम करने हेतु मंत्रि मंडल के आधार को कम करने,
22. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में साईन्स डिग्री कालेज खोलने,
23. हरिद्वार में वर्ष भर पड़ने वाले मेलों को अधिसूचित कर यात्रियों की सुविधा हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने,
24. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने,
25. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था करने,
26. हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किये जाने,
27. हरिद्वार के ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाने,
28. हरिद्वार में सिटी बस चलाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

29. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
30. राज्य में गौ रक्षा आयोग के सम्बन्ध में,
31. हरिद्वार को पूर्णतया सीवरेंज से जोड़ने,
32. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान देने।”

10. श्री माल चन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र पुरोला को जनपद बनाने,
2. राजगढ़ी को तहसील एवं जोरी को तहसील बनाने,
3. सूखे से पीड़ित लोगों के लिए राहत देने,
4. गोविन्द पशु विहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने,
5. गोविन्द पशु विहार में रहने वाले लोगों के लिए विकास से संबंधित कार्यों के लिए कोई नीति बनाने,
6. भेड़ पालकों को चरान चुगान की गोविन्द पशु विहार में व्यवस्था करने,
7. 30 कि०मी० चलने वाले गाँव के लोगों के लिए सड़क बनाने,
8. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में दूर दराज के गाँव के लोगों के लिए स्कूल खोलने,
9. ऊन से सम्बन्धित वस्त्र की लघु उद्योग इकाई स्थापित करने,
10. पर्वतीय क्षेत्र में ऊन की मण्डी एवं कार्डिंग प्लांट स्थापित करने,
11. बाढ़ से क्षेत्रों के कटान रोकने एवं कटान के लिए मुवावजा देने,
12. विधान सभा क्षेत्र पुरोला में जड़ी बूटी केन्द्र की स्थापना करने,
13. विधान सभा क्षेत्र पुरोला के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा डाक्टरों को नियुक्त करने।”

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. श्रीमती आशा नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. विधान सभा क्षेत्र, केदारनाथ, जिला-रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग शुरू करने,
2. विकास खण्ड, अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग के कारगिल शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग को स्थान वासबाड़ा से मोहनखाल तक डामरीकरण करने,
3. तहसील, ऊखीमठ, जनपद-रूद्रप्रयाग, में बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेज खोलने,
4. विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, जनपद-रूद्रप्रयाग, विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में तल्लानागपुर तथा वसुकेदार नये विकास खण्डों का सृजन करने,
5. विधान सभा केदारनाथ, के विकास खण्ड-अगस्त्यमुनी, में ग्राम इशाला, तेवडी, दौला कन्यास में पेयजल की सुविधा प्रदान करने,
6. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ व अगस्त्यमुनी में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, पैदल पुल व यात्री मार्गों का सुधार करने,
7. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूद्रप्रयाग में पर्यटक स्थलों व धार्मिक स्थलों का विकास जैसे-देवरियातल का सौन्दर्यीकरण, कार्तिक स्वामी में पैदल मार्ग निर्माण व सौन्दर्यीकरण, वसुकेदार मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करने,
8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ, जनपद-रूद्रप्रयाग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुमेरा, मणिगुह, भणज, रामपुर का उच्चीकरण करने।”

12. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. जनपद चमोली की नन्दादेवी राजरात यात्रा मार्ग के लिए विशेष आवासीय भवन, निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने,
2. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में खेल मैदान निर्माण को प्राथमिकता देने,
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने,
4. विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
5. विकास खण्ड पोखरी में पूर्व में संचालित लोक निर्माण विभाग के डिविजन को पुनः खोलने,
6. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के अनेकों गाँवों को विद्युतीकरण से जोड़ने,
7. विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी के पेयजल सुविधा से वंचित गाँवों क्वीठी काण्डा, सिमलासू, जिलासू, मिलोठी मस्टगाँव, पगना, करुणमल्ला, मोली हिडोली सुनाली आदि गाँवों को प्राथमिकता से जोड़ने,
8. विकास खण्ड घाट एवं पोखरी में रिक्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों, विद्यालय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव को प्राथमिकता देने,
9. विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम वमोय में गोचर-वमोय को मोटर मार्ग पुल से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने,
10. शासन में विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु लम्बित लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता देने,
11. विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा-चोपड़ा मोटर मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने।”

13. श्री विशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राम गंगा नदी पर नामिक डीडिहाट में झूला पुल बनाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

2. दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त डीडिहाट के गोखटियां गाड़ जगयली में झूला पुल का निर्माण करने,
3. दैवी आपदा में डीडिहाट दूनाकोट में मेठीगाड़ तथा खेतार में पुलिया का निर्माण करने,
4. डीडिहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने,
5. डीडिहाट के अलगड़ा पुर्नगठन पेयजल योजना का निर्माण करने,
6. डीडिहाट चौसाल लेक पेयजल योजना को कार्यान्वित करने,
7. डीडिहाट के नाचनी में हाईड्रम योजना बनाने।”

14. श्री अनिल नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग का उच्चीकरण करने,
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैण का उच्चीकरण करने,
3. गौचर (चमोली) में स्टेडियम निर्माण करने,
4. गौचर (चमोली) में निर्मित हवाई पट्टी के दोनों ओर रास्ते एवं नाली निर्माण करने,
5. बगोली (कर्णप्रयाग) से चूला-गबनी मोटर मार्ग के बनाने,
6. देवागाड़ (गैरसैण) से कण्डारीखोड़ मोटर मार्ग बनाने,
7. नैल-देवपुरी (गैरसैण) से तलवाड़ी (थराड़ी) मोटर मार्ग बनाने,
8. बड़ेय-पिण्डवाली (गैरसैण) एल0वी0आर0 को चौड़ा झामरीकरण के करने,
9. गडोत (गैरसैण) झूला पुल बनाने,
10. महाविद्यालय गैरसैण के भवन का निर्माण करने,
11. जू0हा0 स्कूल घण्डियाल (गैरसैण) एवं चूला (कर्णप्रयाग) का उच्चीकरण करने,
12. छतौली, ग्वाड़, हुंगी, जसपुर (कर्णप्रयाग) एवं रणचौरा पांडवाखाल गोगनातल्ला-मल्ला (गैरसैण) आदि ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने,
13. सिमली-सेनू (कर्णप्रयाग) नहर का पुनः निर्माण करने।”

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. श्री प्रकाश पन्त

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नई झील निर्माण का निर्माण करने,
2. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में रिंग रोड का निर्माण करने,
3. पूर्व में स्वीकृत जी०आई०सी०-सुकाली-चमाली मोटर मार्ग, अशोक नगर भाटी गाँव मोटर मार्ग, बड़ाबे-तोली मोटर मार्ग, दिग्तोली-दयूडी मोटर मार्ग, बडारी-कांटेबोरा मोटर मार्ग का निर्माण करने,
4. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ में सीवर लाइन का निर्माण करने,
5. नैनी-सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण कर वायु सेवा प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने,
6. जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति करने,
7. पूर्व स्वीकृत अप्पूघर (बहुउद्देशीय पार्क) पिथौरागढ़ के निर्माण करने,
8. जनपद पिथौरागढ़ में रिक्त गोरखा राजाओं के किले को संरक्षित इमारत घोषित करने हेतु संस्तुति करने,
9. नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मोटर मार्गों को हाटमिक्स करने,
10. जाख-पुरान ग्राम समूह लिफ्ट पेयजल योजना पिथौरागढ़ का निर्माण करने।”

16. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. रानीखेत से चौबटिया तक रज्जू मार्ग बनाने,
2. रानीखेत में कीड़ा स्थल का निर्माण करने,
3. रानीखेत में छात्राओं की बढ़ती हुयी संख्या को देखते हुए एक जी०जी०आई०सी० बनाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

4. रानीखेत नगर में पर्यटकों के वाहन पार्किंग हेतु टैक्सी स्टैंड बनाने,
5. रानीखेत को जिला बनाने,
6. मजखाली, जालली एवं मछेड़ को तहसील का दर्जा देने,
7. ताड़ीखेत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण करने,
8. रानीखेत एवं सूरि, बिल्लेख एवं बगवान पर छोटे अस्पताल खोलने जाने,
9. गनियाद्योली-पाण्डेकोट-बिशालकोट सड़क का निर्माण करने,
10. ताड़ीखेत-पीपली-मजूरखान सड़क का निर्माण करने,
11. देवलीखेत-ड्योडाखाल-सिलोर महोदव सड़क का निर्माण करने,
12. बेडगाँव-शीतलाखेत सड़क का निर्माण करने,
13. द्वारसो-काकडीघाट मोटर मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने,
14. चौबटिया-नागपानी सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
15. ताड़ीखेत-पथूली सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
16. ताड़ीखेत-जैना, ताड़ीखेत कोटाड सड़को का कार्य प्रारम्भ करने,
17. ताड़ीखेत-ऊणी मण्डलकोट सड़क कार्य प्रारम्भ करने,
18. बिल्लेख-चापड़-भुजान सड़क की स्वीकृति प्रदान करने,
19. गगास से चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
20. गगास से चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
21. कोसी-शेर पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
22. कोसी-बिल्लेख पम्पिंग योजना का निर्माण करने,
23. हाईस्कूल मण्डल कोट के भवन का निर्माण करने,
24. हाईस्कूल बबूरखोला के भवन का निर्माण करने,
25. इण्टर कालेज रघुली-पीपल के भवन निर्माण करने,
26. अभ्याडी से रघुलीपीपल-कुणकोली सड़क का निर्माण करने,
27. भुजान-रीची-बिल्लेख सड़क का डामरीकरण करने,
28. देवलीखेत से सौला तक सड़क का डामरीकरण करने,
29. काकडीघाट से शीतलाखेत तक सड़क का डामरीकरण करने,
30. काकडीघाट से चौना तक सड़क का डामरीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

31. चौबटिया-बमरयूँ-कुनेलाखेत के शेष मार्ग को पूर्ण करने,
32. चौबटिया-कुनेलाखेत मार्ग का पासुड़ा का डामरीकरण करने,
33. उप्राड़ी-सिलंगी-दूनाकोट सड़क का निर्माण करने,
34. पन्तकोटली-वलना तक सड़क का निर्माण करने,
35. खिरखेत से कारचूली तक के सड़क का निर्माण करने,
36. बन्द पड़ी सरस्वती वूलन मिल रानीखेत का पुनः संचालन करने,
37. को-आपरेटिव ड्रम फैक्ट्री रानीखेत को उत्तरांचल को सौंपने,
38. जू०हा० स्कूल सालीखेत का उच्चीकरण करने,
39. प्रा०पा० लछीना को कन्या जू०हा० स्कूल तक उच्चीकरण करने,
40. छावनी परिषद् के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने,
41. रानीखेत के उ०प्र० रा० सड़क परिवहन निगम डिपो को ताड़ीखेत स्थानान्तरित करने,
42. रा० कन्या हाईस्कूल ताड़ीखेत के भवन का निर्माण करने,
43. रा० चिकित्सालय बासुलीसेरा में चिकित्सकों की व्यवस्था करने,
44. नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति करने,
45. रानीखेत-एरोड़-गगास सड़क का निर्माण करने,
46. नैनी-जाना-गगास सड़क का निर्माण करने,
47. उत्तरांचल में महिलाओं का जीवन स्तर उठाने,
48. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार देने,
49. गगास नदी के वनघट नामक स्थान पर पुल निर्माण करने,
50. रानीखेत को नगर पालिका बनाने।”

17. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी की घोषणा करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

2. उत्तरांचल राज्य के प्रमुख शहीद स्थल रामपुर तिराहे, जनपद मुजफ्फरनगर, 30 प्र० को उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार करके उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
3. उर्दू एकेडमी की स्थापना करने,
4. उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देने,
5. ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने,
6. जनपद हरिद्वार में सावन माह में कावडियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की घोषणा करने,
7. कस्बा मंगलौर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना करने,
8. कस्बा मंगलौर में 50 शैया के अस्पताल की स्थापना करने,
9. कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना करने,
10. कस्बा मंगलौर में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, इन्डोर वैडमिन्टन कोर्ट एवं व्यायामशाला की स्थापना करने,
11. मंगलौर को फल पट्टी एवं मैंगो एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
12. उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए गन्ना कमाण्ड एरिया के अनुसार राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने,
13. नारसन ब्लॉक, जनपद हरिद्वार में गन्ना और गेहूं शोध केन्द्र खोलने,
14. गन्ना, धान, गेहूं व अन्य कृषि उत्पादन जिनकी बिक्री सरकार के माध्यम से होती है, इन उत्पादनों की कीमत फसल बोने से पहले घोषित करने,
15. गन्ना किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र कराये जाने,
16. गन्ना किसानों का बेसिक कोटे के अतिरिक्त बाण्ड कराए गए गन्ने को चीनी मिलों द्वारा खरीद सुनिश्चित करने,
17. जब तक वर्ष, 2002-2003 का पूरा गन्ना समाप्त न हो जाए तब तक उत्तरांचल राज्य की चीनी मिलों को चलाए रखने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. चीनी मिलें एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक निःशुल्क उपलब्ध कराने,
19. चीनी मिलों एवं गन्ना सोसाइटियों द्वारा गन्ना क्षेत्र में नए मार्गों का निर्माण कराने एवं पुराने मार्गों की मरम्मत कराने,
20. दुधारु एवं कृषि के उपयोग होने वाले पशुओं का निःशुल्क उपचार एवं टीकाकरण करने,
21. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दुगुनी करने,
22. किसान, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन को दोगुना करने,
23. अनुसूचित जाति के लोगों के अस्थायी पट्टे पर लाभार्थियों को अस्थायी स्वामित्व प्रदान करने,
24. रुड़की को हैन्डीकाफ्ट एक्सपोर्ट जोन घोषित करने,
25. मंगलौर गुड़ मण्डी से व्यापारियों का पलायन रोकने के लिए और मण्डी के सुधार के लिए नई योजना की घोषणा करने।”

18. श्री काशी सिंह ऐरी
डा० नारायण सिंह जन्तवाल
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य की स्थाई राजधानी का चयन एवं निर्माण करने,
2. राज्य में जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लागू किये जाने,
3. मुजफ्फरनगर काण्ड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में,
4. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों के बटवारे का निस्तारण निश्चित समयावधि के भीतर किये जाने,
5. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी अधिकारियों, शिक्षकों, एवं कर्मचारियों को अविलम्ब उत्तर प्रदेश वापस भेजे जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

6. प्रभावी रोजगार नीति बनाकर एक निश्चित अवधि के भीतर शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
7. प्रदेश के मानव संसाधन के समुचित विकास एवं उपयोग हेतु एक कारगर शिक्षा नीति बनाये जाने,
8. उत्तरांचल राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए कारगर औद्योगिक नीति बनाये जाने,
9. प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर एक माइक्रोलेबल आधारित कारगर कृषि नीति बनाये जाने,
10. प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान सहित, न्यूनतम 100 एक सौ रुपया प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने,
11. बिन्दुखत्ता, बग्घा चक्कन, दमुवांदूंगा सहित सभी बन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने,
12. कस्तूरी मृग बिहार अस्कोट सहित विभिन्न वन्य जन्तु अभयारण्यों में सम्मिलित अनावश्यक क्षेत्र को अभयारण्यों से मुक्त किये जाने,
13. धारचूला-मुंयारी तहसीलों को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने,
14. राज्य बनने के पश्चात् नये जनपदों, तहसीलों, एवं विकास खण्डों के सृजन,
15. धारचूला, मुंयारी, डीडिहाट, जोशीमठ तहसीलों की भांति सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों की सेना में भर्ती की योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण किये जाने,
16. आई०टी०पी०एल० वीरभद्र-ऋषिकेश को राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने एवं वी०आर०एस० का विकल्प न अपनाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समायोजित किये जाने,
17. टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर कार्यवाही किये जाने।”

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

19. श्री बलवीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने,
3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि०मी० नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि०मी० डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य उप केंद्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,
4. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मसिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,
5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मसिस्टों, बी०एड०, वी०पी०एड०, सी०पी०एड०, डिप्लोमा इन्जीनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
6. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने,
7. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना एवं बूढ़ाकेदार क्षेत्र में दैवी आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त बासर नहर, पुण्डारा नहर, लुवा नहर, दुरानी नहर, भड़कोट नहर, गांफल नहर, डोखर नहर, श्रीकोटर गांव नहर, खबाड़ा नहर, सिरवाणी नहर, अगुण्डा नहर, भिगुन नहर, मैल्डगांव दला नहर, देवला नहर, जखाणा नहर, उखन्दा नहर, चानी नहर निवालगंव नहर, पोखर नहर, डांगभद्री नहर, कण्डारस्यूं नहर, जखेड़गांव नहर, पदोखा नहर, थाति नहर, जखाली नहर, सित्यारा नहर, चामा नहर, केमरा नहर, खोला नहर, अन्दरिया नहर, असेना नहर, पौनाड़ा नहर, भट्ट गांव नहर छतियारा नहर, घटबाड़ा नहर, केवला नहर चकचौड नहर आदि 52 क्षतिग्रस्त नहरों का पुर्ननिर्माण करने,
12. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक अवयस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,
13. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, पटागली, थौणीखाल, घनसाली बहेड़ा, मगरो आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जू0 हा0 स्कूल-केपार्स, कटैती, पाख तल्यावन फलेण्डा, रगड़ी, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
14. जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में घनसाली-अखोड़ी-मूलगढ़ मोटर मार्ग, घनसाली-धुत्तु-देवलंग मोटर मार्ग, चमियाला-कोटलगंव-लम्ब गांव मोटर मार्ग, मूलगढ़-थार्ती मोटर मार्ग, घनसाली-बूढ़ाकेदार झाला मोटर मार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण व डामरीकरण करने,
15. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुक्त विजली देने,
16. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित करने,
17. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-घनसाली में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों-बूढ़ाकेदार, धुत्तु मासरताल, जखलताल, मज्याइताल, लम्बताल, लिंग ताल, मासू ताल, सहस्त्रताल, क्यारखी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, झल्ला, वेलक खतलिंग गंगी, पिन्सवाड़, विशोल पर्वत, जगदीशिला, रतकोट मासरताल, वालासुन्दरी, वेलेश्वर, दूढ़ाधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगडिया, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,

18. गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
19. होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रुपये की वृद्धि करने,
20. उ०प्र० के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ०प्र० भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति दिये जाने,
21. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के वादघाट के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
22. प्रदेश के अंशकालिक पी०टी०सी० कार्यकर्ताओं को नियमित किये जाने,
23. फलोत्पादन बीमा लागू करने,
24. जनपद-टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ स्थान-बूढ़ाकेदार विनकखाल, ब्यूड़ा घनसाली, भटगांव, के पास एड़ी, पणचुरी, सरस्वती सैण, स्यूरी, पिन्सवाड़ गंगी, गेंवाली, पटुङगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त संख्या में खोले जाने,
25. जनपद-टिहरी गढ़वाल के चुरेना बालगंगा होलाणाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
26. टिहरी बांध के कारण जनपद टिहरी गढ़वाल का भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पृथक कर पूर्ण जिला घोषित करने,
27. जनपद-टिहरी गढ़वाल के घर्मगंगा में कोटी अगुण्डा के बीच झूला पुल बनवाने तथा बाल गंगा नदी पर पढेखा व भिलंगना नदी पर देवलंग व मेण्डू के बीच झूला पुल निर्माण की स्वीकृति दिये जाने तथा पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल में इंजिनियरिंग कालेज खोलने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान असोड़ी के महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
30. भिलंगना विकास खण्ड में फलपट्टी योजना बनाये जाने,
31. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्य हेतु शिथिल किये जाने,
32. जनपद-टिहरी गढ़वाल के ग्राम सरकण्डा में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किए जाने,
33. भटगांव-लोढस, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,

34. रीह से गंगी, लाटा से बूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगदीगाड़ से जगदीसिला, दल्ला से किमुण्डाखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रज्जूमार्ग लगाए जाने,
35. बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गन्ना उद्योग लगाये जाने,
36. मूलगढ़-ढेला-गण्डाराखाल मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किए जाने,
37. बूढ़ाकेदार, विनकखाल, जगदीशिला में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
38. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने”।